

कार्यालय उप वन संरक्षक टोंक

क्रमांक एफ() सर्वे/एफसीए/उवस/2017-18/Camp-SP I
निमित्त:-

दिनांक 20/06/17

मुख्य वन संरक्षक
अजमेर

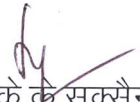
विषय:- लिंक रोड दूनी आवां रोड से चांदली माताजी 5.00किमी के कम में।

प्रसंग:-भारत सरकार का पत्र क्रमांक 8b/raj/06/43/2015/fc/1472 दिनांक 14.03.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार प्रेषित है।

Point No.	Objection/Query	Reply
Point (a)	It was specifically mentioned in our letter no 8B/Raj/06/43/2015/FC/1123 dated 29 Dec 2015 of this office that FRA certificate has been submitted for the CA Area instead of forest area proposed for diversion . In reply, without reading the content DCF has written that FRA certificate has already been submitted. FRA certificate has been submitted for 2.1 ha. Of Khasra no. 182 of Gram Bishan Pura, Panchayat-Rajkot and the details of this land pertain to the non forest land which is being transferred to forest Department. FRA certificate is to be submitted for the land to be diverted.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित FRA प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रस्ताव की अतिरिक्त सूचनाओं में संलग्न कर दिया गया है।
Point (b)	The territorial DCF had informed that the matter is still pending. The present status of issue has not been clarified, in the absence of which decision cannot be taken.	प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी देवली को सक्षम अधिकारी के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 6197-6202 दिनांक 21.7.2015 निलम्बित किया गया था। जांच में आरोपो की पुष्टि नही होने के कारण क्षेत्रीय वन अधिकारी देवली को दोषमुक्त कर मुख्य वन संरक्षक अजमेर के आदेश संख्या 7163-68 दिनांक 24.09.2015 द्वारा बहाल किया गया। प्रकरण की जांच पूर्ण की जा चुकी है।

Point (c)	Site inspection report has been submitted by territorial DCF. In addition to previously reported violation , the DCF has further informed that the width of road/path has been widened to approx 25 feet from the earlier width of 12 feet and for this purpose the required soil has been excavated from adjoining forest area. This is addition violation of provisions of FCA-1980. The DCF has bot mentioned anything about action taken for illegal excavation of soil from adjoining forest area, by the user agency.	प्रकरण में सहायक वन संरक्षक देवली द्वारा स्थान का निरीक्षण कर वन भूमि में हुए नुकसान का आंकलन तथा निर्माण किये गये पक्के कार्यों का ब्यौरा रिपोर्ट क्रमांक कैम्प आवां स्पेशल I दिनांक 18.8.2015 द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अवैध रूप से मिट्टी हटाई जाने की एवजाना राशि 46200/- जरिये रसीद संख्या 20/5 जरिये चालान संख्या 0011029786 दिनांक 31 मई 2016 द्वारा राजकोष में जमा करा दी गई है।
Point (d)	Certificate of XEN has been submitted which does not serve the purpose as it does not provide any documentary proof of the period during which the said road has been constructed.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर अवगत कराया गया है। कि पूर्व का डामरीकृत रोड बना हुआ हैं। वह वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने से पूर्व का बना होना बताया गया है।
Point (e)	Enquiry of CCF-Ajmer is still pending, even after more than 6 months. The outcome of this Enquiry should be conveyed to this office, in the absence of enquiry report, no decision can be taken.	उच्च कार्यालय से संबंधित है।


 (के.के.सक्सैना)
 उप वन संरक्षक
 टोंक

क्रमांक एफ() सर्वे/एफसीए/उवस/2017-18/

प्रतिलिपि:—अधिशाषी अभियंता राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टोंक।

दिनांक


 (के.के.सक्सैना)
 उप वन संरक्षक
 टोंक

कार्यालय उप वन संरक्षक, टोंक

क्रमांक एफ ()2016-17/जांच/उवस/ 3101

दिनांक 11.4.17

कार्यालय आदेश

श्री रघुवीर सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी देवली को इस कार्यालय के ज्ञापन पत्र संख्या 193 दिनांक 10.01.2017 से राजस्थान असेनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं पुनरावेदन) 1958 के नियम 17 के तहत विभागीय जांच चांदली माता से आवां दूनी सड़क का वन क्षेत्र 4 किलोमीटर लम्बाई का निमार्ण किये जाने के सम्बन्ध में आरोप पत्र जारी किया गया था।

श्री रघुवीर सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी देवली द्वारा दिनांक 24.01.2017 को उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रेषित कर निवेदन किया कि विभाग द्वारा जारी एफ.आई.आर. नं. 41 दिनांक 08.05.2015 मय पंचनामा फर्द जल्दी प्रस्तुत करने पर अधिक्षण अभियन्ता कृषि विपणन बोर्ड टोंक द्वारा यह कृत मन्जूर किया गया तथा उक्त अवैध सड़क निमार्ण कार्य का हरजाना मुआवजा राशि रु. 46200 जरिये रसीद संख्या 20/5 जरिये चालान संख्या 0011029786 दिनांक 31.5.2016 द्वारा राजकोष में जमा करा दिये गये हैं तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण वन संरक्षण अधि० 1980 के अंतर्गत भारत सरकार को सक्षम स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया जिसे विभाग द्वारा सिद्धान्त रूप से सहमति जताते हुए राज्य सरकार के माध्यम से उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया जो वर्तमान में भारत सरकार के पास विचाराधीन है। श्री सिंह को लापरवाही बरती जाने के कृत्य के सम्बन्ध में निलम्बित किया जा कर दण्डित हो चुके हैं।

अतः श्री रघुवीर सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी देवली का स्पष्टीकरण संतोषप्रद पाते जाने पर इनके विरुद्ध सीसीए 17 में लगाये गये आरोप निरस्त कि ये जाकर इनके विरुद्ध विचाराधीन जांच को नत्थीबद्ध किया जाता है।

श्री रघुवीर सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी देवली को मुख्य वन संरक्षक अजमेर के आदेश संख्या 6197-6202 दिनांक 21.7.2015 से निलम्बित किया जाकर आदेश संख्या 7163-68 दिनांक 24.9.2015 से बहाल किया गया था। अतः इनका उक्त निलम्बन काल पेंशन ग शुमार किये जाने के एतद्वारा आदेश प्रसारित कि ये जाते हैं।

(अजय चितोड़ा)
उप वन संरक्षक
टोंक

दिनांक 11.4.17

क्रमांक एफ ()2016-17/जांच/उवस/ 3102-7

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मुख्य वन संरक्षक अजमेर
2. श्री रघुवीर सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी देवली।
3. कार्मिक शाखा/निजी पत्रावली/बिल शाखा दो प्रति में।
4. गार्डबुक

(अजय चितोड़ा)
उप वन संरक्षक
टोंक

क्यायलिय सहायक वन संरक्षक देवली वन मण्डल टोंक
क्रमांक / Comp. Answer / 1 दिनांक 18-8-15

विषय

श्रीमान उप वन संरक्षक
टोंक



विषय :- आंवा इनी रोड से ग्राम चांदली माता तक
रास्ता एवं कव्वर्ट निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके मॉरनिंग निर्देशानुसार आज दि. 18-8-2015 को
प्रातः 9-00 बजे टोंक से गश्तीदल स्टाफ के साथ प्रस्थान कर
10-30 बजे आपके बताये स्थान आंवा इनी रोड से ग्राम चांदली
माता को जाने वाले रास्ते पर पहुंचे। उक्त वन क्षेत्र में आ
रहे गेवत सडक निर्माण कार्य की तम्बाई एवं चौड़ाई
जापी गई। जिसमें रोड की तम्बाई 4 कि.मी. 200 मीटर
तथा होसव चौड़ाई 8-40 मीटर पाई गई। जिसका
कुल क्षेत्रफल 3-528 हेक्टर आता है।

उक्त रोड पर बने हुए कव्वर्ट एवं शपट की कुछ
तम्बाई चौड़ाई व ऊंचाई जापी गई। जिसका विवरण
पृथक से संलग्न प्रेषित है।

संलग्न

- (1) माप तालिका
- (2) जरूरी नक्शा

(वी.के. प्रधान)
उप वन संरक्षक
टोंक

सचदीप

सहायक परक्षक
देवली (देवली टोंक)

हुमना हुनो रोड पर काम चांदनी माता रोड तक सड़क निर्माण
में आने वाले कहरवी रफट की ल. चौ. व ऊंचाई का विवरण

क्र.सं.	कहरवी रफट सं.	लंबाई	चाँडई	कुलमत ऊंचाई	Latitudinal			Longitudinal		
					डिग्री	मिनट	सेकेंड्स	डिग्री	मिनट	सेकेंड्स
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कहरवी 1	76-25 मी.	7-50 मी.	1-50 मी.	N. 25°	47'	30-46"	E 075°	33'	43-28"
2	रफट 2	25-60 मी.	7-60 मी.	1-20 मी.	N. 25°	47'	28-5"	E 075°	33'	37-64"
3	कहरवी 3	27-20 मी.	7-50 मी.	1-20 मी.	N. 25°	47'	22-14"	E 075°	33'	29-9"
4	कहरवी 4	30-40 मी.	7-50 मी.	1-20 मी.	N. 25°	47'	14-91"	E 075°	33'	19-3"
5	रफट 5	24-40 मी.	7-50 मी.	1-00 मी.	N. 25°	46'	56-01"	E 075°	32'	53-53"
6	कहरवी 6	30-90 मी.	7-50 मी.	1-80 मी.	N. 25°	46'	45-06"	E 075°	32'	38-52"
7	रफट 7	24-90 मी.	7-50 मी.	0-50 मी.	N. 25°	46'	33-74"	E 075°	32'	12-52"

हो एशाल

① श्री श्री रामचरण गोसवाल
(10.0 गजतीटल, रांठ)

रांठ
Ro.

सहायक वन संरक्षक
देवली (जिला-डोंक)

② विक्रम शर्मा
वनरक्षक गजतीटल
मेंड

विक्रम (4.17)

③ कुटेश कुमार चौधरी
वनरक्षक गजतीटल
मेंड

कुंआर धीरी

④ उदय माधव शर्मा
वनरक्षक नागासहर
रांठ देवली

उदय माधव
रांठ

x

24/12/2019


 २५२८

 कलवट
 नं. ५

 २५८८
 कलवट
 नं. ३

 कलवट
 नं. ३

 कलवट
 नं. ५

 २५२८
 कलवट
 नं. १

 २५२८
 कलवट
 नं. ३

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

महात्मा ज्ञान रा. रावः
देवली (जिला-ए.क.)

XEDVH

S. No.	Station	Gr. P.S.	Height
1.	Station 1	N- 25° 47' 35.5"	0
2.	Station 2	E- 75° 33' 51.74"	300 M.
3.	Station 3	N- 25° 47' 30.46"	500 M.
4.	Station 4	E- 75° 33' 43.28"	800 M.
5.	Station 5	N- 25° 47' 22.14"	1200 M.
6.	Station 6	E- 75° 33' 29.91"	9100 M.
7.	Station 7	N- 25° 46' 56.01"	9700 M.
8.	Station 8	E- 75° 32' 53.53"	3500 M.
9.	Station 9	N- 25° 46' 45.06"	4200 M.
10.	Station 10	E- 75° 32' 38.62"	
11.	Station 11	N- 25° 46' 33.74"	
12.	Station 12	E- 75° 32' 19.58"	
13.	Station 13	N- 25° 46' 28.61"	
14.	Station 14	E- 75° 31' 52.35"	

(वी.के.प्रधान)
उप वन संरक्षक
टोंक

三

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[Handwritten signature]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

20
1944
1944